

प्रेषक,

महमूद आलम,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी)  
कला एवं संस्कृति विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना दिनांक 24/07/2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 444 दिनांक 22.09.2026 के आलोक में बिहार ललित कला अकादमी, पटना को स्थापना व्यय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष "2205-कला एवं संस्कृति-101-ललित कला शिक्षा-0003-बिहार ललित कला अकादमी", विपत्र कोड 08-2205001010003, के अन्तर्गत विषय शीर्ष 3104-सहायक अनुदान-वेतन में तत्काल कुल राशि ₹ 52,00,000/- (बावन लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है:-

| विषय शीर्ष             | पूर्व आवंटन | तत्काल आवंटन | कुल आवंटन   |
|------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 3104-सहायक अनुदान-वेतन | ₹ 0         | ₹ 52,00,000  | ₹ 52,00,000 |
| योग-                   | ₹ 0         | ₹ 52,00,000  | ₹ 52,00,000 |

तत्काल आवंटित राशि ₹ 52,00,000 /-(बावन लाख रुपये) मात्र।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236/वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 65 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार लोक निर्माण संहिता एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 स्वीकृत राशि का लेखा जोखा अलग रखा जायेगा। वित्त विभाग के ज्ञापांक-13158, दि0 25.10.1975 में सन्निहित शर्तों के आलोक में भारतीय अंकेक्षण एवं बिहार सरकार के अंकेक्षण विभाग को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगा।

6 उक्त राशि का 18 माह के अंदर अंकेक्षण एवं व्ययोपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार से समायोजन हेतु विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

7 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक 24/07/2026

ज्ञापांक 183/

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 183/

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई0 टी0 मैनेजर कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।